न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 71/2019

देवकरण व अन्य निवासी ग्राम देवगॉव तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

—— प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर —अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थितः— श्री अनुराग पाण्डे वकील— प्रार्थी

तहसीलदार केकड़ी — पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 3.12.19

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम देवगॉव पटवार हल्का देवगॉव तहसील केकड़ी जिला अजमेर की जमाबंदी संवत् 20141 के खाता संख्या 633 के खसरा नंबर 751/3 मिन रकबा 3.10.00बीघा किस्म बारानी 3 लादू पुत्र घीसा कौम बागरिया सा0देह गैर खातेदार दर्ज होकर नामा0 संख्या 402 दिनांक 27.05.1992 से खातेदार दर्ज हुआ है। उक्त आराजी नां0 संख्या 192 दिनांक 26.06.1984से लादू पुत्र घीसा बागरिया गैर खातेदार को आवंटित हुई है। मुताबिक मिलान क्षैत्रफल साबिक खसरा नंबर 751/3 के बने नये नंबर 3606रकबा 0.85 है0 मे से 3.10.00बीघा यानि 0.56 एयर भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण मे तहसीलदार केकड़ी से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक/भू.अ./19/9957 दिनांक 26.02.19 का अवलोकन किया गया, तथा पटवारी रिपोर्ट तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अध्ययन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण मे प्रार्थी ने स्वयं के पिता के नाम भूमि आवंटन का कोई दस्तावेजात सबूत यथा आवंटन आदेश,पट्टा विलेख व आवंटन सूची रजिस्टर की प्रमाणित नकले प्रस्तुत नहीं की है। तथा संवत् 2058 की आधार जमाबंदी मे सिवायचक अंकित होने के बावजूद दिनांक 30.05.19 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना पत्र मे 12 वर्ष से अधिक विलब होने का कोई ठोस कारण भी प्रार्थना पत्र मे अंकित नहीं किया गया है। आवंटी लादू का कब्जा होने के संबंध मे कोई दस्तावेजात गिरदावरी पी014 की नकले प्रस्तुत नहीं की है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किये जाने के अलावा कोई विकल्प न्यायालय के पास उपलब्ध नहीं है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 सारहीन पाया जाने से खारिज किया जाता है। प्रार्थी यदि आवश्यक समझे तो नियमानुसार दावा संबंधित न्यायालय मे पेश कर अनुतोष प्राप्त करने का हकदार है। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी अजमेर सत्यमेव जयते

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2019.12.19 17:18:57 IST
Reason: SelfAttested